इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2896

06 सितम्बर, 2012 को उत्तर के लिए

इस्पात के कारखाने स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस दिया जाना

2896. श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में इस्पात कारखाने की स्थापना करने के लिए कितनी निजी कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार उनमें से कितनी कंपनियों ने इस्पात का उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इन निजी कंपनियों को इस आधार पर कि इन कंपनियों को इस्पात का उत्पादन करना पड़ता है, कितना ऋण प्रदान किया गया है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। इस प्रकार, देश में किसी इस्पात कारखाना की स्थापना के लिए इस्पात मंत्रालय से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख निजी इस्पात उत्पादकों में टाटा स्टील, एस्सार स्टील, जिंदल स्टील एंड पॉवर, जेएसडब्ल्यू स्टील, भूषण पॉवर एंड स्टील, भूषण स्टील इत्यादि शामिल हैं। निजी ब्लॉस्ट फर्नेस, स्पंज आयरन यूनिटों, इंडक्शन फर्नेस यूनिटों और रोलिंग मिलों समेत देश में कई मध्यम और छोटी इस्पात यूनिटें हैं। वर्ष 2009-10 में संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा कराए गए विगत सर्वेक्षण के अनुसार इस प्रकार की यूनिटों की कुल संख्या लगभग 3647 है। निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा लगभग 77.5 प्रतिशत इस्पात का उत्पादन किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा निजी इस्पात कंपनियों को दिए गए ऋणों से संबंधित सूचनाएं इस्पात मंत्रालय में नहीं रखी जाती हैं।

****